

ताराख हुक्म

हुक्म या कायवाहा मय इनिशियल्स जज

अहकाम जो इस
हुक्म की तामील में
जारी हुए

25/8/23

प्राची एवं चकल प्राची आ नहीं।
बार-बार आवाज दिलाया गई।
किन्तु कोई उपस्थित नहीं आया।
ऐसी स्थिति में, पार्थनापत्र प्राची
अहम हाजरी एवं अहम पूरवी में
स्वायत्त किया जाता है। पत्रावली
दाखिल दफतर है।

2
उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (डीग)